

प्रेषक  
आर०के०मिश्र  
अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में  
कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1899/सम्बद्धता/2008, दिनांक 15.09.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन शिवशंकर चतुर्वेदी महाविद्यालय, दुगपार, सन्तकबीरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
4. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।
5. आगामी शैक्षिक सत्र में छात्र आवंटन से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस संबंध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-4203(1)/सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, राधिका, जगपुर।
4. प्रबन्धक, शिवशंकर चतुर्वेदी महाविद्यालय, दुगपार, सन्तकबीरनगर।
5. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।

शुभा चतुर्वेदी  
सचिव/प्रबन्धक

शंकर चतुर्वेदी महाविद्यालय  
दुगपार - संत कबीर नगर